भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *388

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों में प्रदूषण

*388. श्री खलीलुर रहमानः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश भर में बड़ी संख्या में जल निकाय गंभीर प्रदूषण के शिकार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन जल निकायों में प्रदूषण को कम करने और इन्हें साफ करने और अधिक प्रदूषित होने से बचाने तथा प्रदूषकों को नदियों में जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों की पहचान की है जो गंगा नदी के समुद्र तक पहुंचने के मार्ग में इसमें प्रदूषक छोड़ते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘जल निकायों में प्रदूषण’ के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *388 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): देश में नदियों सहित जल निकाय, शहरों/कस्बों से अनुपचारित, आंशिक रूप से उपचारित घरेलू सीवेज के डिस्चार्ज, संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों के औद्योगिक बहिःस्राव और कटाव, कृषि रन-ऑफ और ठोस अपशिष्ट डंपिंग स्थलों के रन-ऑफ जैसे अन्य नॉन-पॉइंट प्रदूषित स्रोतों के कारण प्रदूषित होते हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) इस समय देश में 4736 स्थानों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/ प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) के सहयोग से जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत नदियों पर 2155, झीलों पर 558, तालाबों पर 141, टैंकों पर 102, भूजल स्थलों पर 1233 और अन्य जल निकायों पर 547 निगरानी स्थल शामिल हैं। वर्ष 2023 का देश भर के जल निकायों की जल गुणवत्ता संबंधी डेटा निम्न लिंक पर मौजूद है: **https://cpcb.nic.in/nwmp-data-2023/**

(ख): नदियों सहित जल निकायों की सफाई/संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। नदियों और अन्य जल निकायों में सीवेज एवं औद्योगिक बहिःस्राव छोड़े जाने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उनका आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

यह मंत्रालय नदियों के संरक्षण के लिए, गंगा बेसिन की नदियों हेतु "नमामि गंगे" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा देश में नदियों के चिन्हित हिस्सों में प्रदूषण को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर एवं अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजनाओं द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। इसके अलावा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत भी सीवरेज आधारभूत ढांचा बनाया जा रहा है।

जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) द्वारा अन्य जल निकायों के पुनर्स्थापना के संबंध में, मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी) की योजना भी लागू की जा रही है। राष्ट्रीय जलीय परिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसे देश में आद्रभूमी/झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच साझा लागत के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ): नमामी गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के तहत, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए एनएमसीजी द्वारा 3 सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात जाजमऊ सीईटीपी [20 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी)], बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। इनमें से दो परियोजनाएं, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से वर्ष 2017 में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के सातवें दौर में, 4,246 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई गई है। इन सभी अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण किया गया है। अभी तक इनमें से 4,000 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, 2,682 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग अनुपालन कर रहे हैं, 517 अनुपालन नहीं कर रहे हैं, 523 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग अस्थायी रूप से बंद हैं और 278 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग स्थायी रूप से बंद हैं। अनुपालन न करने वाले (517 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग) में से, 26 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और 491 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में बीओडी भार 26 टन प्रति दिन (टीपीडी) से घटकर वर्ष 2023 में 13.73 टीपीडी रह गया है, तथा बहिःस्राव निर्वहन में लगभग 28.6% की कमी आई है, जो वर्ष 2017 में 349 एमएलडी से घटकर वर्ष 2023 में 249.31 एमएलडी हो गया है।

*****